न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/29

प्रार्थीगण :–
1.महीपालसिंह पुत्र श्री जयसिंह
2.हुक्मसिंह पुत्र श्री जयसिंह नाबालिक जरिये कुदरती वलि माता राजकंवर पत्नि श्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़ाकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. जयसिंह पुत्र श्री उमरावसिंह जाति राजपुत निवासी बाड़ाकलां तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर
2. मीठू कंवर पुत्री श्री उमरावसिंह पत्नि श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़ाकलां हाल निवास राजपूत कोलोनी पीपाड़शहर जिला जोधपुर
3. तहसीलदार तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
नाहर सिंह भाटी प्रार्थीगण की ओर से ।

दर्ज दिनांक :–07/01/2025

निर्णय

दिनांक :– 27/04/2026

प्रार्थीगण ने एक ने राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पुरी पुरी उम्मीद है। ग्राम बाड़ाकलां की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

खाता संख्या	खंसरा नम्बर	रकबा	किस्म
108	703	2.7795 हैक्टयर	बारानी
	704	1.4987 हैक्टयर	बारानी
	कुल खंसरा 02 कुल रकबा 4.2782 हैक्टयर		
109	545	1.9047 हैक्टयर	बारानी
	546	1.5921 हैक्टयर	बारानी
	550	2.2397 हैक्टयर	बारानी
	642	0.547 हैक्टयर	बारानी
	735	1.7512 हैक्टयर	बारानी
	895	1.3413 हैक्टयर	बारानी
	कुल खंसरा 06 कुल रकबा 9.3717 हैक्टयर		

उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबुत में नकल जमाबन्दी सम्बवत् 2081 मय खंसरा गिरदावरी व ट्रेस नक्शा संलग्न पेश है। यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी खंसरा नम्बर 703 रकबा 2.7795 हैक्टयर व खंसरा नम्बर 704 रकबा 1.4987 हैक्टयर कुल खंसरा 02 कुल रकबा 4.2782 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के दादा उमरावसिंह की खातेदारी कब्जासुद थी उनके पश्चात प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या एक को प्राप्त हुई जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या एक के नाम खातेदारी दर्ज है जिस पर अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ प्रार्थीगण सयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सहदायगी सम्पती होने से अप्रार्थी संख्या एक के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

साथ साथ प्रार्थीगण का हक निहीत हो चुके जिसमें अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/3 1/3 वां हिस्सा निहीत होने से प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ 1/3रू 1/3 वां हिस्सा के खातेदार होने के हकदार है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ वादग्रस्त आराजी पर साहूलियत अनुसार शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है। यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 545, 546, 550, 642, 735, 895 कुल खंसरा 06 कुल रकबा 9.3717 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के दादा उमरावसिंह की खातेदारी कब्जासुद जमीन थी उनके पश्चात प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या एक संयुक्त खातेदार के रूप में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसमें प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या एक का 5/6 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/6 वां हिस्सा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी सहदायगी सम्पत्ति है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ वादग्रस्त आराजी के 5/6 वां हिस्सा पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या एक का 5/6वां हिस्सा मे से 1/3 वां यानि 5/18 वां हिस्सा निहीत है तथा प्रार्थी संख्या दो का 5/6वां हिस्सा मे से 1/3 वां यानि 5/18 वां हिस्सा निहीत है, अप्रार्थी संख्या एक का 5/18 वां हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या एक के 5/6 वां हिस्सा में प्रत्येक प्रार्थीगण 5/18ः 5/18 वां हिस्सा के खातेदार होने के हकदार है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ वादग्रस्त आराजी पर साहूलियत अनुसार शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है। दिनांक 06/01/2025 को अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी पर अजनबी व्यक्तियों को लेकर आया तथा वादग्रस्त आराजी को बैचान करने की गरज से दिखाने लगे इस पर प्रार्थीगण ने मना किया कि अभी तक वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सहदायगी सम्पति है जिस पर प्रार्थीगण शामलाती रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है व उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है जिसका कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है इसलिए अविभाजित आराजी को अप्रार्थी संख्या एक को बैचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस पर अप्रार्थी संख्या एक अत्यधिक नाराज हो गया तथा प्रार्थीगण को ऐलानिया रूप को धमकी दी कि अभी तक वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है इसलिये अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अजनबी व्यक्तियो को बैचान कर देगा तथा वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसके लिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र घोषणा खातेदारी, बंटवाडा व अस्थायी निशेधाज्ञा का पेश करना पड रहा है। यह है कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण पैतृक सहदायगी कब्जासुद जमीन है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ प्रत्येक प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को अपने दादा परदादा से पुश्तैनी सम्पत्ति में प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीगण का पैदाइसी हक निहित हो चुका है जिसमें प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या एक का समान हक व हिस्सा है ऐसी स्थिती में अविभाजित वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या एक को अपने हिस्सा से अधिक बैचान हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है अगर अप्रार्थी संख्या एक के नाम वादग्रस्त आराजी इन्द्राज होने से प्रतिवादी संख्या एक ने वादग्रस्त आराजी बैचान कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसो में आका नही जा सकेगा तथा प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी कृषि भूमी से महरूम हो जायेगे। तथा प्रार्थीगण के भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान प्रार्थीगण के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निशेधाज्ञा आदेश जारी फरमाया जावे कि ग्राम बाड़ाकलां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 703, 704 कुल खंसरा 02 कुल रकबा 4.2782 हैक्टयर भूमि के प्रत्येक वादीगण के 1/3 वां हक हिस्सा कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलबाजी पैदा नही करे न

सहायक कलक्टर एव

किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजी खंसरा नम्बर 545, 546, 550, 642, 735, 895 कुल खंसरा 06 कुल रकबा 9.3717 हैक्टयर भूमि के प्रत्येक वादीगण के 5/18 वां हक हिस्सा कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलबाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावें। अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त अविभाजित आराजी को बैचान हस्तान्तरण नही करे, अविभाजित आराजी को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करें राजस्व रेकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के समन बाद तामिल स्वंय अथवा प्रतिनिधि अनुपस्थित जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी 03 तहसीलदार फोरमल पक्षकार है।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं उस पर मनन किया जिस पर पाया कि वादग्रस्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नहीं हुआ है, जिसके प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा कानूनन निहित है। पत्रावली में पूर्व में आदेशित दिनांक 18/06/2025 से राजस्व ग्राम बाड़ाकलां के खसरा नम्बर 703, 704, 545, 546, 550, 642, 735, 895 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश प्रभावी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखेगें एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करे एवं न ही किसी अन्य से करावे एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तानान्तरण नहीं करे।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 27/04/2026 ..... को सर–ए–इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)